

प्रेषक,

प्रमेन्द्र कुमार,
विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण,
सी०बी०आई०, गाजियाबाद।

सेवा में,

आदरणीय महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा,


आदरणीय जनपद न्यायाधीश,
गाजियाबाद।

विषय- उ०प्र० शासन के शासनादेश सं०-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/
2024 दिनांक 28 जून, 2024 के अनुक्रम में शासनादेश सं०-20/2024/सा-3-276/दस-
2024/301(1)/ 2024 दिनांक 11 जुलाई, 2024 के प्रारूप में पुरानी पेंशन योजना को चुने जाने
का विकल्प चुनने के बावत प्रार्थना पत्र-

महोदय,

उपरोक्त सम्बन्ध में सादर निवेदन निम्नवत है-

- 1- यह कि प्रार्थी प्रमेन्द्र कुमार पुत्र श्री हरेन्द्र सिंह, वर्तमान में विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण, सी०बी०आई०, गाजियाबाद के पद पर कार्यरत है।
- 2- यह कि प्रार्थी की न्यायिक सेवा में नियुक्ति दिनांक 26.05.2006 को उ०प्र० न्यायिक सेवा-2003 के अन्तर्गत अपर सिविल जज (जू० डि०), कानपुर नगर के पद पर जनपद न्यायालय, कानपुर में हुई। उक्त पद पर प्रार्थी के योगदान की तिथि दिनांक- 22.06.2006 है। जिसका विज्ञापन सं०-ए-2/ई-1/2003 है। जिसके अनुक्रम में प्रार्थी वर्तमान में उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा में विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण, सी०बी०आई०, गाजियाबाद के पद पर कार्यरत है।
- 3- यह कि प्रार्थी वर्तमान में नई परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) से आच्छादित है। किन्तु प्रार्थी उ०प्र० शासन के शासनादेश सं०- 14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 28 जून, 2024 के अनुक्रम में उ०प्र० सेवा निवृत्ति लाभ नियमावली, 1961 के अन्तर्गत पुरानी पेंशन योजना का वरण/चयन कर रहा है। जिसके लिए प्रार्थी द्वारा उ०प्र० शासन के उक्त शासनादेश सं०-20/2024/सा-3-276/दस-2024/301(1)/2024


Special Judge, Anti Corruption
CBI, Ghaziabad (U.P.)

दिनांक 11 जुलाई, 2024 के संलग्नक के रूप में जारी विकल्प पत्र को भर कर पुरानी पेंशन योजना के विकल्प का चयन करते हुए, प्रस्तुत प्रत्यावेदन के साथ आदरणीय महोदय को प्रेषित किया जा रहा है।

अतः आदरणीय महोदय से अत्यन्त विनम्र निवेदन है कि उ०प्र० सेवा निवृत्ति लाभ नियमावली, 1961 के अन्तर्गत 'पुरानी पेंशन योजना' का लाभ प्रार्थी को प्रदान करने हेतु प्रस्तुत प्रत्यावेदन माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की कृपा करें।

यह आपकी महानता होगी।


सादर,

संलग्नक- उक्त शासनादेश सं०-20/2024/सा-3-276/दस-2024/ 301(1)/2024

दिनांक 11 जुलाई, 2024 द्वारा निर्धारित विकल्प-पत्र।

भवदीय,

दिनांक-12.09.2024


(प्रमेन्द्र कुमार)

विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण,
सी०बी०आई०, गाजियाबाद।


Special Judge, Anti Corruption
CBI, Ghaziabad (U.P.)

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, गाजियाबाद।

पत्रांक सं०- 3987/XL

दिनांक- सितंबर/2, 2024

आदरणीय महानिबन्धक, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।


जनपद न्यायाधीश,
गाजियाबाद।
District Judge
Ghaziabad

शासनादेश संख्या-20/2024/सा-3-276/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 11 जुलाई,
2024 का संलग्नक-

विकल्प-पत्र

1.	नाम-	प्रमेन्द्र कुमार
2.	वर्तमान पदनाम-	विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण, सी०बी०आई०, गाजियाबाद।
3.	वेतनमान-	रु०- 194660/- प्रतिमाह
4.	वर्तमान विभाग का नाम-	न्याय विभाग
5.	राज्य सरकार के अधीन वर्तमान नियुक्ति के पद पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी करने वाले विभाग का नाम -	न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद
6.	विज्ञप्ति की तिथि-	22-28 नवम्बर, 2003, रोजगार समाचार (विज्ञापन सं०-ए-2/ई-1/2003)
7.	विज्ञप्ति के सापेक्ष नियुक्ति की तिथि-	26.05.2006
8.	योगदान की तिथि-	22.06.2006
9.	जन्म तिथि-	05.10.1976
10.	सेवानिवृत्ति की तिथि-	31.10.2036

मैं, प्रमेन्द्र कुमार पुत्र श्री हरेन्द्र सिंह शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 28 जून, 2024 के अन्तर्गत पुरानी पेंशन योजना(✓)/नवीन पेंशन योजना(x) में सम्मिलित होने का विकल्प देता हूं। मेरे द्वारा दिया गया विकल्प अन्तिम समझा जाये।

दिनांक-12.09.2024

हस्ताक्षर-

नाम-

पदनाम-

(प्रमेन्द्र कुमार)

विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण,
सी० बी० आई०, गाजियाबाद।

J.O Code-**UP6205**

Special Judge, Anti Corruption
CBI, Ghaziabad (U.P.)

घोषणा-पत्र

मैं, प्रमेन्द्र कुमार, विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण, सी०बी०आई०, गाजियाबाद, यह घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त क्रम संख्या-01 से 10 तक अंकित तथ्य मेरी जानकारी में सही हैं तथा मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

दिनांक-12.09.2024

हस्ताक्षर-

नाम-

पदनाम-



(प्रमेन्द्र कुमार)

विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण,

सी० बी० आई०, गाजियाबाद।

J.O Code-**UP6205**

**Special Judge, Anti Corruption
CBI, Ghaziabad (U.P.)**

सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जायेगा

श्री प्रमेन्द्र कुमार, विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण, सी०बी०आई०, गाजियाबाद, को उपरोक्त तथ्यों के आधार पर पुरानी पेंशन योजना(✓)/नवीन पेंशन योजना(x) में सम्मिलित किये जाने हेतु इस विभाग की संस्तुति/सहमति प्रदान की जाती है।

विशेष कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष की संस्तुति

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,

गाजियाबाद।

**District Judge
Ghaziabad**